झारखण्ड भू संपदा नियामक प्राधिकार,

सातवां तल्ला रांची नगर निगम भवन, कचहरी रोड, रांची- 834001

पत्रांकः- JHARERA/विविध/निबंधन/20/2021 1238 दिनांक 29.11.24

प्रेषक :

वीरेन्द्र भूषण (से०नि०) भा०प्र०से०

अध्यक्ष

सेवा में

1. सभी जिला निबंधन पदाधिकारी

झारखण्ड

2. सभी अवर जिला निबंधक

झारखण्ड

विषय :- सम्पति अवभार प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महोदय

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में कहना है कि आपके कार्यालय के द्वारा जो सम्पति अवभार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है उसके टिप्पणी 3 को चिन्हांकित किया जाता है। टिप्पणी 3 में अंकित है कि चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वंय की है और मैं उसके द्वारा ढूंढे गए संव्यहारो और अवभारो को सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है । इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ना ढूंढे गए ऐसे संव्यहारो और अवभारो की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा । जिससे उक्त सम्पति पर प्रभाव पड़ता हो ।

जबकि उक्त सम्पति से सम्बंधित अभिलेख सम्बंधित निबंधन कार्यालय में ही उपलब्ध रहता है । इसलिए इसकी अच्छी तरह जांच कर ही प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना उचित प्रतीत होता है । केवल यह अंकित कर देने से इसके लिए विभाग जिम्मेवार नही होगा । यह अंकित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है । इसके अतिरिक्त यह भी देखा जा रहा है कि एक ही तिथि को अलग अलग प्रमाण पत्र एक ही निर्गत नंबर से निर्गत किये जाते है । जो नियमानुकूल नही है । जबकि सभी प्रमाण पत्र का निर्गत संख्या अलग - अलग होना चाहिए ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक संसोधन करने की कृपा की जाय ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

(हस्ताक्षर) 29/11/24

अध्यक्ष

झारखण्ड भू संपदा नियामक प्राधिकार, राँची